

भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3068

09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

हरियाणा में प्राकृतिक चिकित्सा और योग केंद्र

3068. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा हरियाणा, विशेषकर सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों के बीच औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं;
- (ख) हरियाणा, विशेषकर सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित किए गए प्राकृतिक चिकित्सा और योग केंद्रों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त केंद्रों में पंजीकृत लाभार्थियों का वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) : जी हां। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार हरियाणा सहित पूरे देश में “औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन” पर केंद्रीय क्षेत्रीय योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें निम्नलिखित गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान किया जाता है:

- (i) सूचना शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियाँ जैसे प्रशिक्षण / कार्यशालाएँ / सेमिनार / सम्मेलन आदि।
- (ii) नर्सरियों की स्थापना।
- (iii) स्व-स्थाने संरक्षण/पूर्व-स्थिति संरक्षण।
- (iv) संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) / पंचायतों / वन पंचायतों / जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) / स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ आजीविका लिकेज।
- (v) अनुसंधान एवं विकास।
- (vi) औषधीय पादपों के उत्पादन का संवर्धन, विपणन तथा व्यापार।
- (vii) औषधीय पादपों की आपूर्ति श्रृंखला में अगली और पिछली कड़ी (एकीकृत घटक) - घटक के तहत निम्नलिखित गतिविधियों को सहयोग प्रदान किया जा रहा है:
  - खेती के लिए औषधीय पादपों की पौधारोपण सामग्री जुटाने हेतु गुणवत्तापूर्ण पौधारोपण सामग्री हेतु बुनियादी ढांचा।
  - किसानों को जागरूक करने के लिए सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) गतिविधियाँ।
  - औषधीय पादपों की विपणन क्षमता बढ़ाने, उपज का मूल्य संवर्धन करने, लाभप्रदता बढ़ाने और घाटे को कम करने के लिए फसलोपरांत प्रबंधन और विपणन हेतु बुनियादी ढांचा।
  - कच्चे माल का गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय औषधीय पादपों की खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना (सीएसएस) के तहत जागरूकता सृजन कार्यक्रम, एक्सपोजर दौरे, हितधारकों की शिक्षा और क्षमता निर्माण जैसी आईईसी गतिविधियों को सहयोग प्रदान करता है। एनएमपीबी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक हरियाणा में औषधीय पादपों के संरक्षण, खेती, फसलोपरांत प्रबंधन और विपणन जैसे विभिन्न पहलुओं के बारे में किसानों सहित हितधारकों को जागरूक करने के लिए विभिन्न आईईसी गतिविधियों के लिए 02 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) प्रभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, औषधीय खेती करना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत एक अनुमेय गतिविधि है। महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत औषधीय पादपों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय और ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के साथ सम्मिलन करते हुए समुदाय और व्यक्तिगत भूमि में औषधीय खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संयुक्त दिशानिर्देशों को साझा किया गया है।

(ख) और (ग) : राज्य औषधीय पादप बोर्ड, हरियाणा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अब तक कोई सरकारी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है।

केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन), नई दिल्ली से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देवरखाना गांव, जिला- झज्जर, हरियाणा में केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान तथा पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (पीजीआईएमएस), रोहतक में बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) स्थापित किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त केन्द्रों में पंजीकृत लाभार्थियों का वर्ष-वार एवं जिला-वार विवरण संलग्नक पर दिया गया है।

\*\*\*\*\*

संलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त केन्द्रों में पंजीकृत लाभार्थियों का वर्ष-वार तथा जिला-वार ब्योरा।

क्र. सं.	जिले का नाम	केंद्र का नाम	वित्तीय वर्ष		
			2021-22	2022-23	2023-24
1.	झज्जर	केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (सीआरआईवाईएन)			
		लाभार्थियों की संख्या	3305	5820	563
2.	रोहतक	बाह्य रोगी विभाग (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा)			
		लाभार्थियों की संख्या	360	3389	1681